केंद्रीय सरकार के लोक आगम की प्रवृत्ति, एक विश्लेषणात्मक अध्ययन कर आगम के संदर्भ में (सन् 2012 से 2020 तक)

डॉ. संतोष कुमार त्रिपाठी; डॉ अखिलेश कुमार मौर्य

असिस्टेंट प्रोफेसर, वाणिज्य संकाय, आरएसकेडी पीजी कॉलेज जौनपुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया

असिस्टेंट प्रोफेसर, वाणिज्य संकाय, एसबी पीजी कॉलेज, बदलापूर, जौनपुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया

Corresponding Author Email: sktripathi272@gmail.com

सारांश— आधुनिक परिवेश में समाज में व्याप्त आय व संपत्ति के वितरण में असमानता, आर्थिक अस्थिरता, बेरोजगारी की समस्या, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव आदि कारणों से सरकार के उत्तरदायित्वो में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है। उत्तर दायित्व के निर्वहन करने के लिए सरकार को राजस्व की आवश्यकता पड़ती है। जिसके कारण लोक आगम का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अंतर्गत सरकार को कर आगम तथा गैर-कर आगम के रूप में राजस्व की प्राप्ति होती है। कर तथा कर आगम का अध्ययन तथा विश्लेषण समाज में आय वितरण के असमानता, आर्थिक अस्थिरता, बेरोजगारी आदि समस्याओं के समाधान में सहायक होता है।

I. प्रस्तावना

सरकार के कार्य क्षेत्र के संदर्भ में प्रारंभिक अवधारणा बहुत संकुचित थी जो केवल जीवन धन और संपत्ति सुरक्षा तक सीमित थी। लेकिन समय व्यतीत होने के साथ-साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण में परिवर्तन होने के कारण संकुचित अवधारणा का स्थान विस्तृत अवधारणा ने ले लिया। वर्तमान समय में सरकार का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक विकास करने के साथ-साथ लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है जिसके कारण सरकार के ऊपर अतिरिक्त आर्थिक कार्यों का उत्तरदायित्व बढ़ता गया। इन उत्तरदायित्वो के निर्वहन करने के लिए सरकार को आय-व्यय की उचित व्यवस्था बनाने की जरूरत पड़ी। इस जरूरत ने राजस्व विज्ञान के अध्ययन एवं महत्व को और अधिक बढ़ा दिया।

राजस्व शब्द दो शब्दों ' राजन +स्व ' से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है राजा का धन। राजस्व के शाब्दिक अर्थ के अनुसार इसके अंतर्गत इस बात का अध्ययन किया जाता है कि राजा अपने राज्य के कार्यों को पूरा करने के लिए धन की व्यवस्था किस प्रकार करता है।

"राजस्व का सम्बन्ध लोक सत्ताओ के आय और व्यय से तथा एक दूसरे के साथ समायोजन से है। "1

"राजस्व लोक सत्ताओ (सरकारों) द्वारा कोषों के व्यय करने एवं प्राप्त करने में निहित सिद्धांत का अध्ययन है। "2

इस प्रकार राजस्व से आशय सरकार की उस वित्त व्यवस्था से है जो सरकार की आय-व्यय एवं ऋण का वित्त व्यवस्था से सम्बंधित सिद्धांतों, समस्याओं, नीतियों और प्रक्रियाओं का अध्ययन करती और समन्वय स्थापित करती है।

1- **Dalton : Principle of public finance page no.-1**

2- **Findley shirras : the public finance page no.-1**

II. लोक आगम

सामान्य शब्दों में लोक आगम से अभिप्राय ऐसी प्राप्तिओं से है जिससे सरकार के दायित्व में कोई वृद्धि नहीं होती है। अर्थात ऐसी प्राप्तिओ को भविष्य में सरकार को लौटाना नहीं पड़ता है।

III. लोक आगम का वर्गीकरण

भारत के संदर्भ में केंद्रीय सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट के आधार लोक आगम के वर्गीकरण को इस प्रकार समझा जा सकता है-

1-कर आगम

2-गैर-कर आगम

IV. कर आगम

कर आगम से अभिप्राय ऐसे आगम से है जो सरकार को कर के माध्यम से प्राप्त होता है। जैसे आय कर, निगम कर, धन कर, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर आदि।

V. गैर-कर आगम

गैर-कर आगम से अभिप्राय ऐसी आगम से है जो सरकार को कर के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से प्राप्त होता है जैसे -

1-ब्याज से आय

2-लाभांश से आय

3- प्रशुल्कीय सेवाओं से आय

4- सामान्य सेवा से आय

5- सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं से आय

6-आर्थिक सेवा और अनुदान में अंशदानो से आय आदि।

केंद्रीय सरकार के कुछ प्रमुख कर आगमों एवं सकल कुल कर आगमों का व्यौरा एवं विश्लेषण इस प्रकार हैं-

VI. निगम कर

निगम कर से आशय ऐसे कर से हैं जो निगम या कंपनी के शुद्ध लाभ पर लगाया जाता है। निगम कर को कंपनी कर भी कहा जाता है। केंद्रीय सरकार के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कर आगम और सकल कुल कर आगम का व्यौरा इस प्रकार है।

तालिका नंबर 1 (करोड़ रुपए में)

केंद्रीय सरकार के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कर आगम और सकल कुल कर आगम

वर्ष	निगम कर		आय कर		सीमा शुल्क		केंद्रीय उत्पाद शुल्क		सेवा कर		धनकर कर आगम	केंद्र शासित प्रदेशों के कर	सकल कुल कर आगम
	करोड़ रु में	प्रतिशत	करोड़ रु में	प्रतिशत	करोड़ रु में	प्रतिशत	करोड़ रु में	प्रतिशत	करोड़ रु में	प्रतिशत	करोड़ रु में	करोड़ रु में	करोड़ रु में
2011-12	322816	36.31	164485	18.50	149328	16.79	144901	16.30	97509	10.97	787	2785	889177
2012-13	356326	34.39	196512	18.96	165346	15.96	175845	16.97	132601	12.80	844	3094	1036235
2013-14	394678	34.66	237817	20.88	172085	15.11	169455	14.88	154778	13.59	1007	3130	1138733
2014-15	428925	34.45	258326	20.75	188016	15.10	188128	15.11	167969	13.49	1086	3204	1244886
2015-16	435228	31.14	287628	19.76	210338	14.45	288073	19.79	211414	14.52	1079	3878	1455648
2016-17	484924	28.26	349836	20.37	225370	13.13	381756	22.25	254499	14.83	184	4146	1715822
2017-18	571202	29.77	419880	21.88	129030	6.72	258834	13.49	81228	4.23	62	4721	1919008
2018-19	663572	31.90	472983	22.73	117813	5.66	231045	11.11	6904	0.33	40	5592	2080465
2019-20	556876	27.70	492593	24.51	109282	5.44	239452	11.91	6029	0.30	18	5835	2010059

तालिका नंबर 1 में प्रस्तुत निगम कर से प्राप्त कर आगम के विश्लेषणात्मक अध्ययन के निष्कर्ष इस प्रकार हैं-

1-निगम कर से प्राप्त कर आगम का माध्य 47028.00 करोड़ रुपए है। वर्ष 2011-12 से लेकर 2015-16 तक निगम कर से प्राप्त कर आगम माध्य से कम है जबकि 2016-17 से लेकर 2019 -२० तक प्राप्त कर आगम माध्य से अधिक हैं।

2-तालिका नंबर 1 में प्रस्तुत निगम कर तथा सकल कुल कर आगम के मध्य सह-सम्बन्ध + 0.97 है जो कि उच्चस्तरीय धनात्मक सह-सम्बन्ध है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सकल कुल कर आगम में वृद्धि होने पर निगम कर से प्राप्त कर आगम में भी पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हुआ है।

३-तालिका नंबर 1 में प्रस्तुत निगम कर से प्राप्त कर आगम के प्रवृत्ति का अध्ययन काल-श्रेणी के अरेखीय विधि से किया जा रहा है जो कि इस प्रकार है-

निगम कर से प्राप्त कर आगम एवं प्रवृत्ति का ग्राफ द्वारा प्रस्तुतीकरण

ग्राफ नम्बर 1A

निगम कर से प्राप्त कर आगम एवं प्रवृत्ति (करोड़ में)

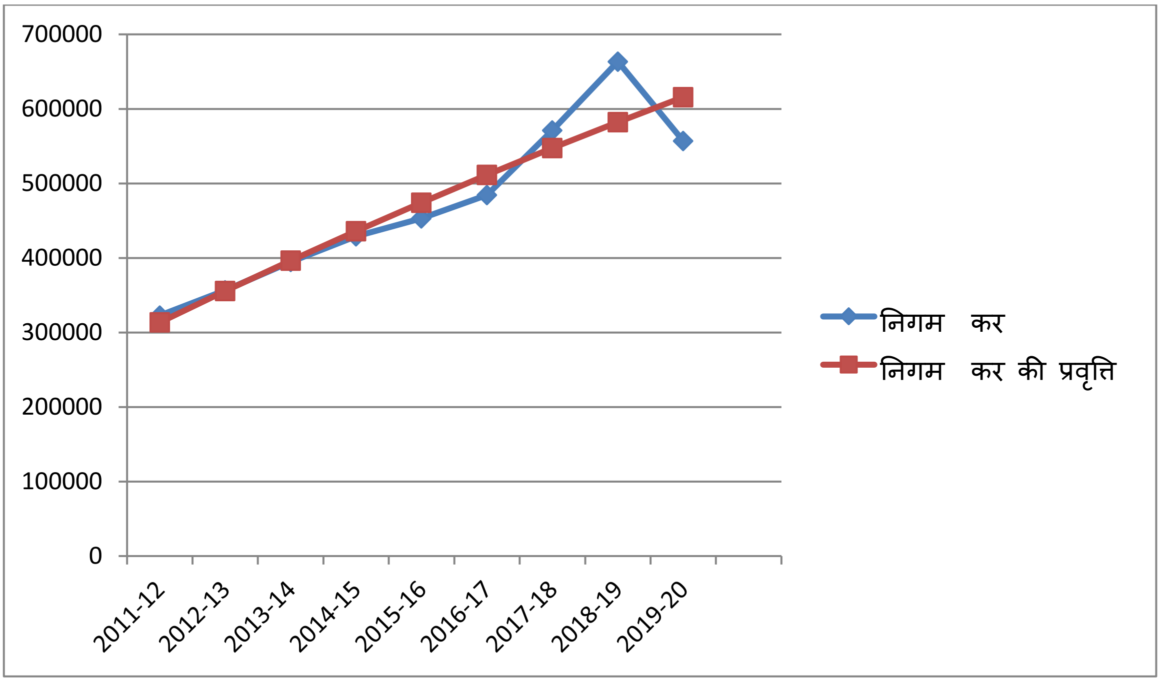

निगम कर से प्राप्त कर आगम का सकल कुल कर आगम के साथ प्रतिशत एवं प्रतिशत की प्रवृत्ति का ग्राफ द्वारा प्रस्तुतीकरण

ग्राफ नम्बर 1B

निगम कर से प्राप्त कर आगम का सकल कुल कर आगम के साथ प्रतिशत एवं प्रतिशत की प्रवृत्ति (प्रतिशत में)

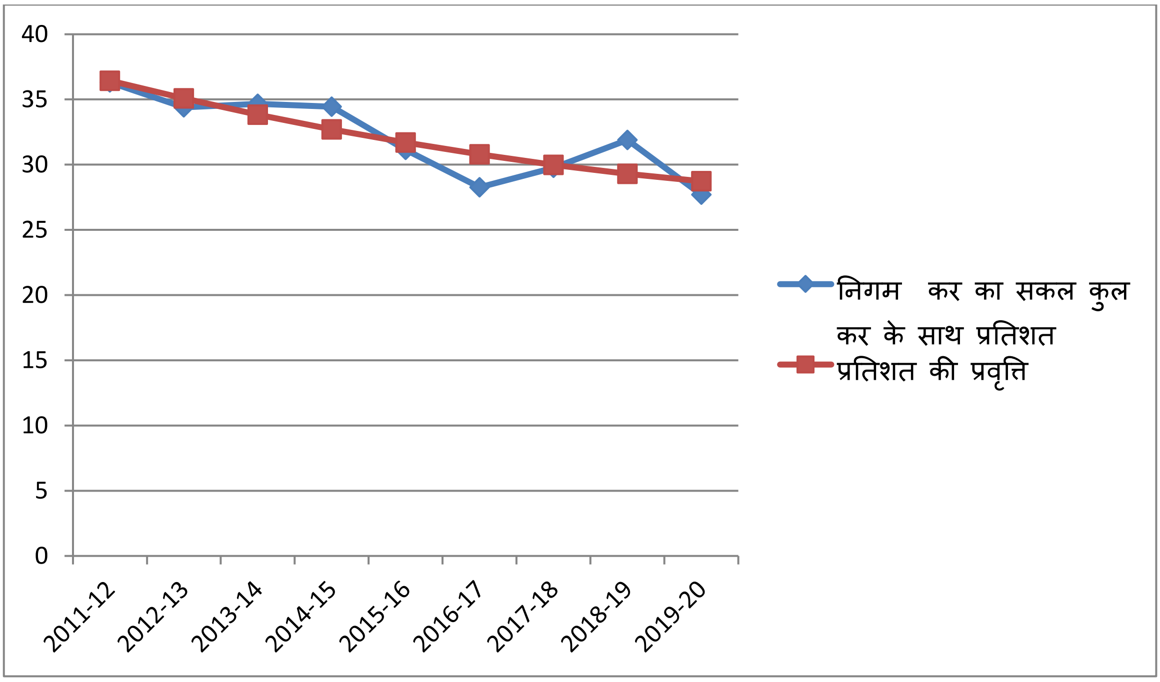

ग्राफ नम्बर 1A & 1B द्वारा स्पष्ट हो रहा है कि निगम कर से प्राप्त कर आगम में 2011-12 से लेकर 2019 20 तक लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति है जबकि निगम कर से प्राप्त कर आगम का सकल कुल कर आगम के साथ प्रतिशत के प्रवृत्ति में 2011-12 से लेकर 2019 तक लगातार गिरावट की प्रवृत्ति है।

VII. आय कर

आय कर का आशय ऐसे कर से है जो व्यक्ति के कर योग्य आय पर लगाया जाता है। केंद्रीय बजट में प्रस्तुत विभिन्न वर्षों में आयकर प्राप्त कर आगम का ब्यौरा तालिका नंबर 1 में प्रदर्शित किया गया है जिसके के विश्लेषणात्मक अध्ययन के निष्कर्ष इस प्रकार हैं-

आय कर से प्राप्त कर आगम का माध्य 319962.22 करोड रुपए है। वर्ष 2011-12 से लेकर 2015-16 तक आयकर से प्राप्त कर आगम माध्य से कम है जबकि 2016-17 से लेकर २०१९-20 तक प्राप्त कर आगम माध्य से अधिक हैं।

आय कर से प्राप्त कर आगम तथा तालिका नंबर 1 में प्रस्तुत सकल कुल कर आगम के मध्य सह-सम्बन्ध +0.99 है जो कि उच्चस्तरीय धनात्मक सह-सम्बन्ध है। इस प्रकार स्पष्ट हो रहा है कि सकल कुल कर आगम में वृद्धि होने पर आयकर से प्राप्त कर आगम में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

तालिका नंबर 1 में प्रस्तुत आयकर से प्राप्त कर के प्रवृत्ति का अध्ययन काल-श्रेणी के अरेखीय विधि से किया जा रहा है जो कि इस प्रकार है-

आयकर से प्राप्त कर आगम और प्रवृत्ति का ग्राफ द्वारा प्रस्तुतीकरण

ग्राफ नम्बर 1C

आयकर से प्राप्त कर आगम और प्रवृत्ति (करोड़ में)

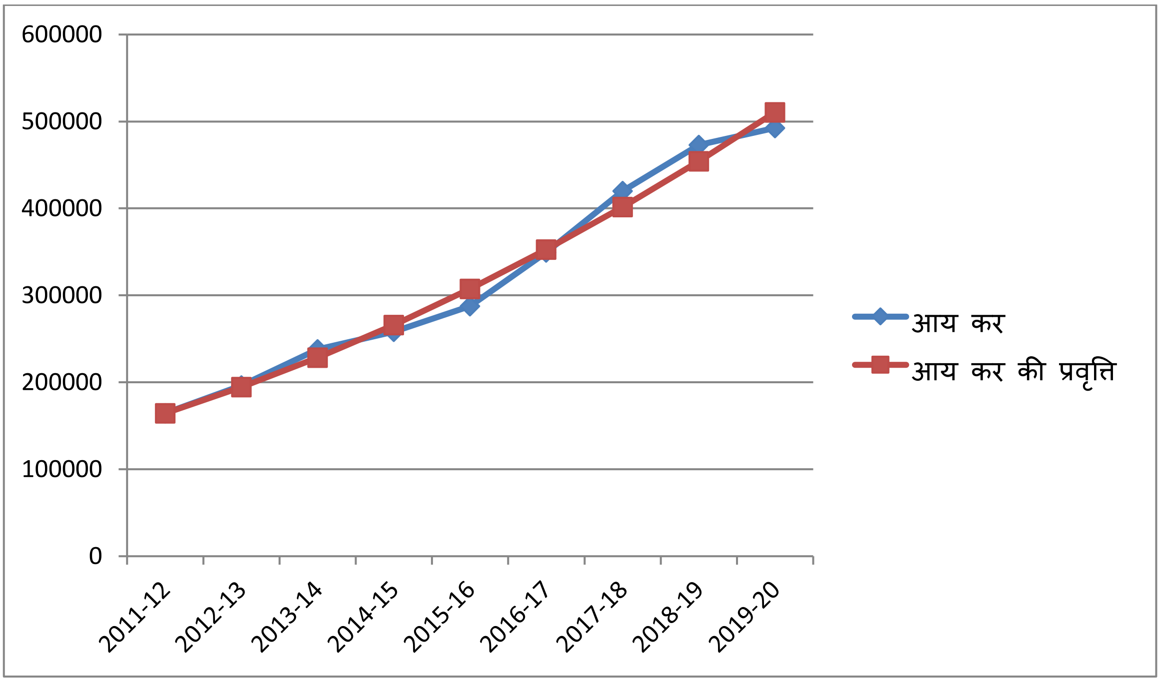

आयकर से प्राप्त कर आगम का सकल कुल कर आगम के साथ प्रतिशत एवं प्रतिशत की प्रवृत्ति का ग्राफ द्वारा प्रस्तुतीकरण

ग्राफ नम्बर 1D

आयकर से प्राप्त कर आगम का सकल कुल कर आगम के साथ प्रतिशत एवं प्रतिशत की प्रवृत्ति (प्रतिशत में)

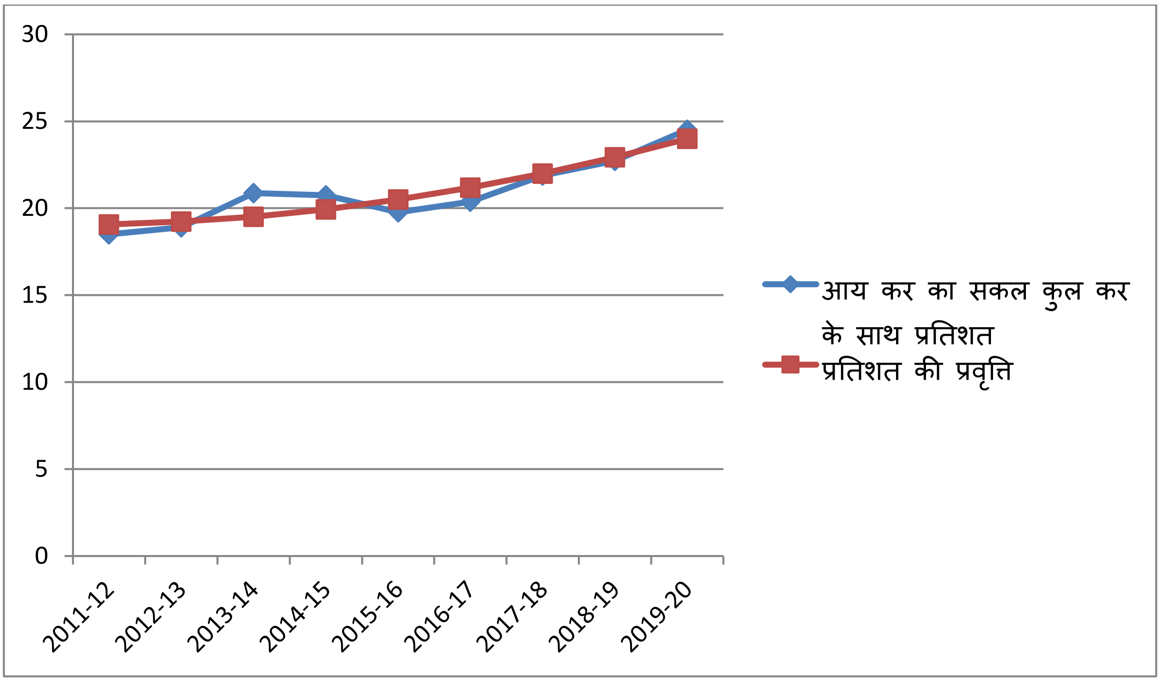

ग्राफ नम्बर 1C & 1D द्वारा स्पष्ट हो रहा है कि आयकर से प्राप्त कर आगम और आयकर से प्राप्त कर आगम का सकल कुल कर आगमके साथ प्रतिशत के प्रवृत्ति में 2011-12 से लेकर 2019-20 लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति है।

VIII. सीमा शुल्क

सीमा शुल्क से आशय ऐसे कर से हैं जो सरकार द्वारा वस्तुओं के आयात एवं निर्यात पर लगाया जाता है। सीमा शुल्क से कर आगम के रूप में पिछले कुछ वर्षों में प्राप्त आगम का व्यौरा तालिका नंबर 1 में प्रदर्शित किया गया है जिसके विश्लेषणात्मक अध्ययन के निष्कर्ष इस प्रकार है-

सीमा शुल्क से प्राप्त कर आगम का माध्य 162956.44 करोड रुपए है। वर्ष 2012-13 से लेकर 2016-17 तक सीमा शुल्क से प्राप्त कर आगम माध्य से अधिक हैं जबकि 2011-12 और 2017-18 से २०१९-20 तक सीमा शुल्क से प्राप्त कर आगम माध्य से कम है।

सीमा शुल्क से प्राप्त कर आगम और तालिका नंबर 1 में प्रस्तुत सकल कुल कर आगम के मध्य सह-सम्बन्ध -0.41 है जो कि मध्यम स्तरीय ऋणात्मक सह-सम्बन्ध है। इस प्रकार स्पष्ट हो रहा है कि सकल कुल कर आगम में वृद्धि होने पर सीमा शुल्क से प्राप्त कर आगम में सामान्य कमी हुई है।

सीमा शुल्क से प्राप्त कर आगम और सीमा शुल्क से प्राप्त कर आगम का सकल कुल कर आगम के साथ प्रतिशत के प्रवृत्ति का अध्ययन काल-श्रेणी के अरेखीय विधि से किया जा रहा है जो कि इस प्रकार है-

सीमा शुल्क से प्राप्त कर आगम एवं प्रवृत्ति का ग्राफ द्वारा प्रस्तुतीकरण

ग्राफ नम्बर 1E

सीमा शुल्क से प्राप्त कर आगम एवं प्रवृत्ति (करोड़ में)

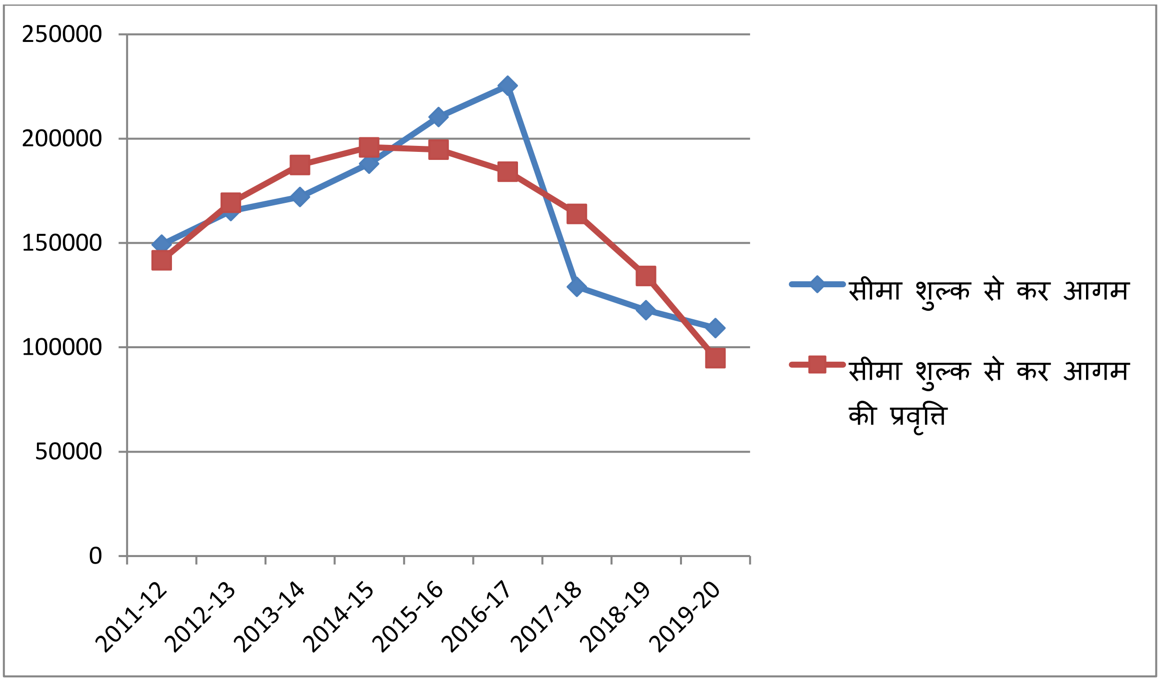

सकल कुल कर आगम के साथ प्रतिशत एवं प्रतिशत की प्रवृत्ति का ग्राफ द्वारा प्रस्तुतीकरण

ग्राफ नम्बर 1F

सकल कुल कर आगम के साथ प्रतिशत एवं प्रतिशत की प्रवृत्ति का (प्रतिशत में)

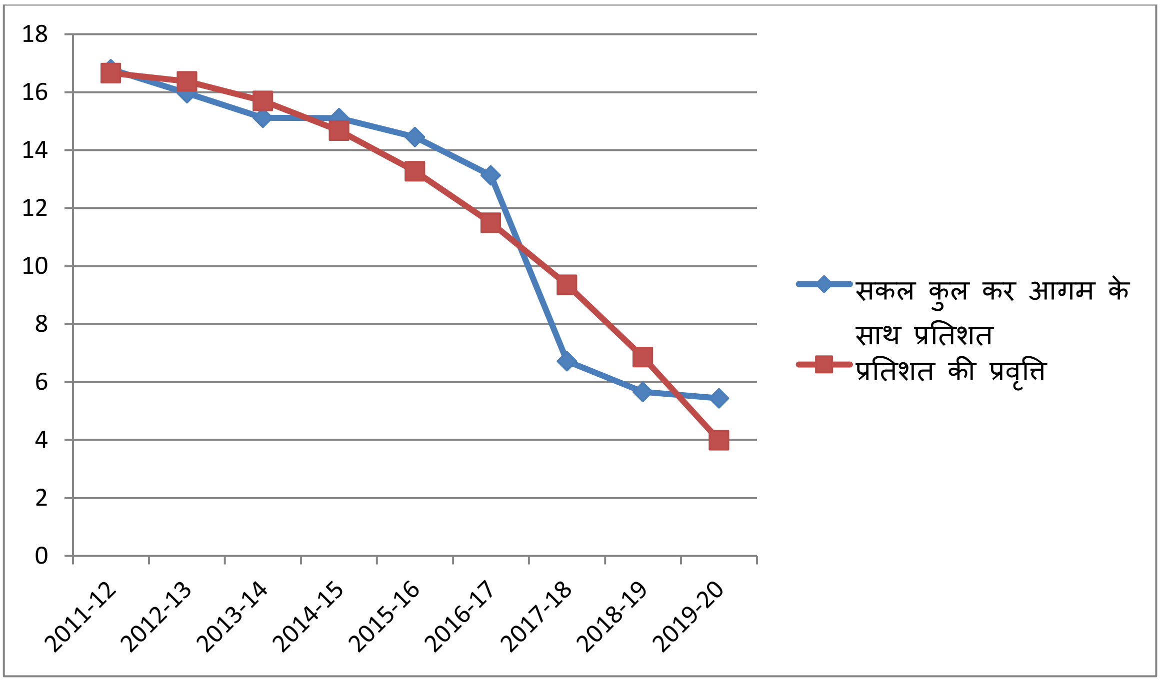

ग्राफ नम्बर 1E & 1F द्वारा स्पष्ट हो रहा है कि सीमा शुल्क से प्राप्त कर आगाम में 2011-12 से लेकर 2014-15 तक वृद्धि की प्रवृत्ति है और इसके बाद कमी की प्रवृत्ति है जबकि सकल कुल कर आगम के साथ प्रतिशत के प्रवृत्ति में वर्ष 2011-12 से लेकर 2012-13 तक लगातार कमी की प्रवृत्ति है।

IX. केंद्रीय उत्पाद शुल्क

केंद्रीय उत्पाद शुल्क से आशय ऐसे कर से हैं जो भारत में विनिर्मित की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है जैसे किसी वस्तु का विनिर्माण हो जाता है। वैसे ही केंद्रीय उत्पाद शुल्क देय हो जाता है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है।

पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्त कर आगम का व्यौरा तालिका नंबर 1 में प्रदर्शित किया गया है जिसके विश्लेषणात्मक अध्ययन का निष्कर्ष इस प्रकार है-

केंद्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्त कर आगम का माध्य 230832.11 करोड़ रुपए हैं। वर्ष 2011-12 से लेकर 2014-15 तक प्राप्त कर आगम माध्य से कम है जबकि 2015-16 से लेकर 2019 तक केंद्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्त कर आगम माध्य से अधिक हैं।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्त कर आगम और तालिका नंबर 1 में प्रस्तुत सकल कुल कर आगम के मध्य सह-सम्बन्ध +0.60 है जोकि मध्यम स्तरीय धनात्मक सह-सम्बन्ध है। इस प्रकार स्पष्ट हो रहा है कि सकल कुल कर आगम में वृद्धि होने पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में सामान्य वृद्धि हो रही है।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्त कर आगम और सकल कुल कर आगम के साथ प्रतिशत के प्रवृत्ति का अध्ययन काल-श्रेणी के अरेखीय विधि से किया जा रहा है जो कि इस प्रकार है-

केंद्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्त कर आगाम एवं प्रवृत्ति का ग्राफ द्वारा प्रस्तुतीकरण

ग्राफ नम्बर 1G

केंद्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्त कर आगाम एवं प्रवृत्ति (करोड़ में)

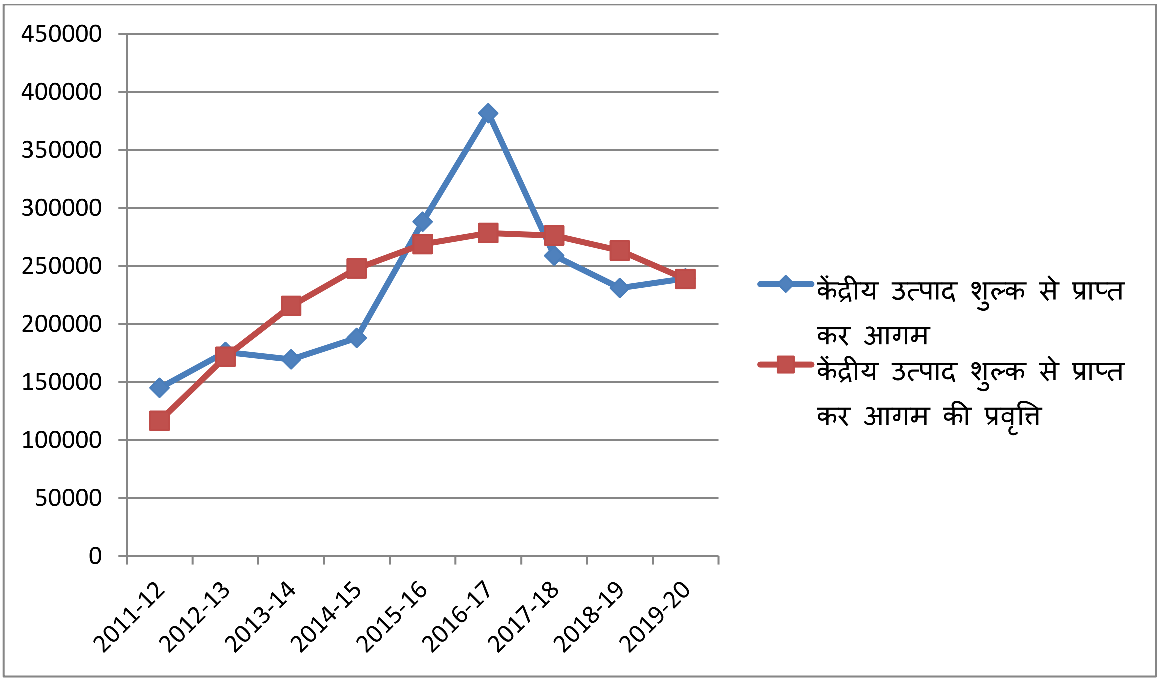

केंद्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्त कर आगम का सकल कुल कर आगम के साथ प्रतिशत एवं प्रतिशत की प्रवृत्ति का ग्राफ द्वारा प्रस्तुतीकरण

ग्राफ नम्बर 1H

केंद्रीय उत्पाद शुल्क से प्राप्त कर आगम का सकल कुल कर आगम के साथ प्रतिशत एवं प्रतिशत की प्रवृत्ति (प्रतिशत में)

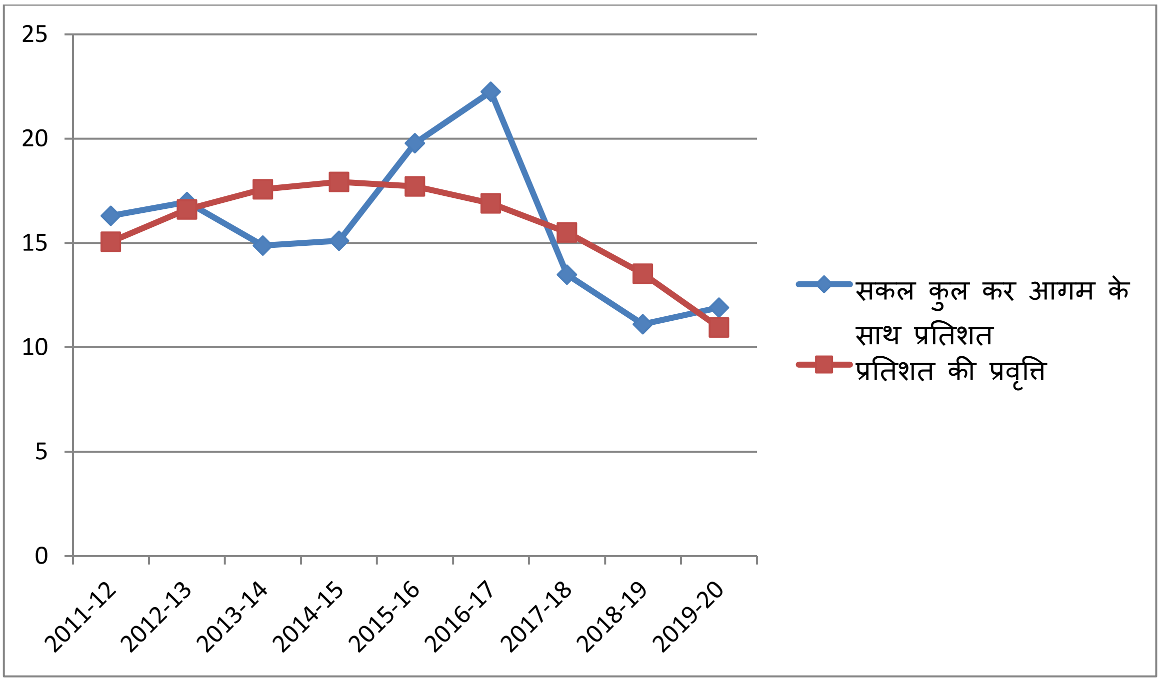

ग्राफ नम्बर 1G & 1H द्वारा स्पष्ट हो रहा है कि केंद्रीय शुल्क से प्राप्त कर आगम में 2011-12 से लेकर 2016-17 तक वृद्धि की प्रवृत्ति है और इसके बाद 2017-18 से लेकर 2019 -20 तक गिरावट की प्रवृत्ति है जबकि सकल कुल कर आगम के साथ प्रतिशत के प्रवृत्ति में 2011-12 से लेकर 2014-15 तक वृद्धि की प्रवृत्ति है जबकि 2015 16 से लेकर 2019 -20 तक गिरावट की प्रवृत्ति है।

X. सेवा कर

सेवा कर से आशय ऐसे कर से हैं जो किसी व्यक्ति, संस्था या कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर लगाया जाता है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। पिछले कुछ वर्षों में सेवा कर से प्राप्त कर आगम का व्यौरा तालिका नंबर 1 में प्रदर्शित किया गया है जिसके विश्लेषणात्मक अध्ययन के निष्कर्ष इस प्रकार हैं-

सेवा कर से प्राप्त कर आयम का माध्य 123659.0 करोड़ रुपए है। वर्ष 2011-12 तथा वर्ष 2017-18 से लेकर 2019 -20 तक प्राप्त कर आगम माध्य से कम है जबकि 2012-13 से लेकर 2016-17 तक प्राप्त कर आगम माध्य से अधिक है।

सेवा कर से प्राप्त कर आगम तथा तालिका नंबर 1 में प्रस्तुत सकल कुल कर आगम के मध्य सह-सम्बन्ध -0.४३ है जो कि मध्यम स्तरीय ऋणात्मक सह-सम्बन्ध है। इस प्रकार स्पष्ट हो रहा है कि कुल कर आगम में वृद्धि होने के साथ-साथ सेवा कर से प्राप्त कर आगम में सामान्यतः कमी हुई है।

सेवा कर से प्राप्त कर आगम और सकल कुल कर आगम के साथ प्रतिशत के प्रवृत्ति का अध्ययन काल-श्रेणी के अरेखीय विधि से किया जा रहा है जो कि इस प्रकार है-

सेवा कर से प्राप्त कर आगम एवं प्रवृत्ति का ग्राफ द्वारा प्रस्तुतीकरण

ग्राफ नम्बर 1I

सेवा कर से प्राप्त कर आगम एवं प्रवृत्ति (करोड़ में)

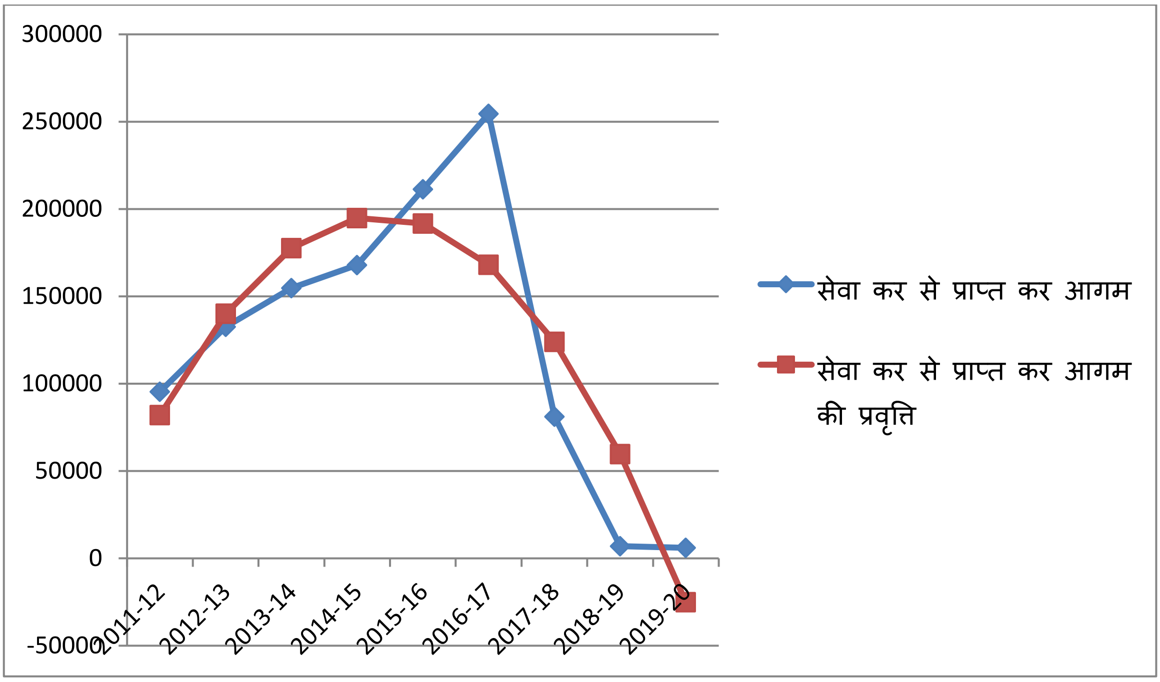

सकल कुल कर आगम के साथ प्रतिशत एवं प्रतिशत प्रवृत्ति का ग्राफ द्वारा प्रस्तुतीकरण

ग्राफ नम्बर 1J

सकल कुल कर आगम के साथ प्रतिशत एवं प्रतिशत प्रवृत्ति (प्रतिशत में)

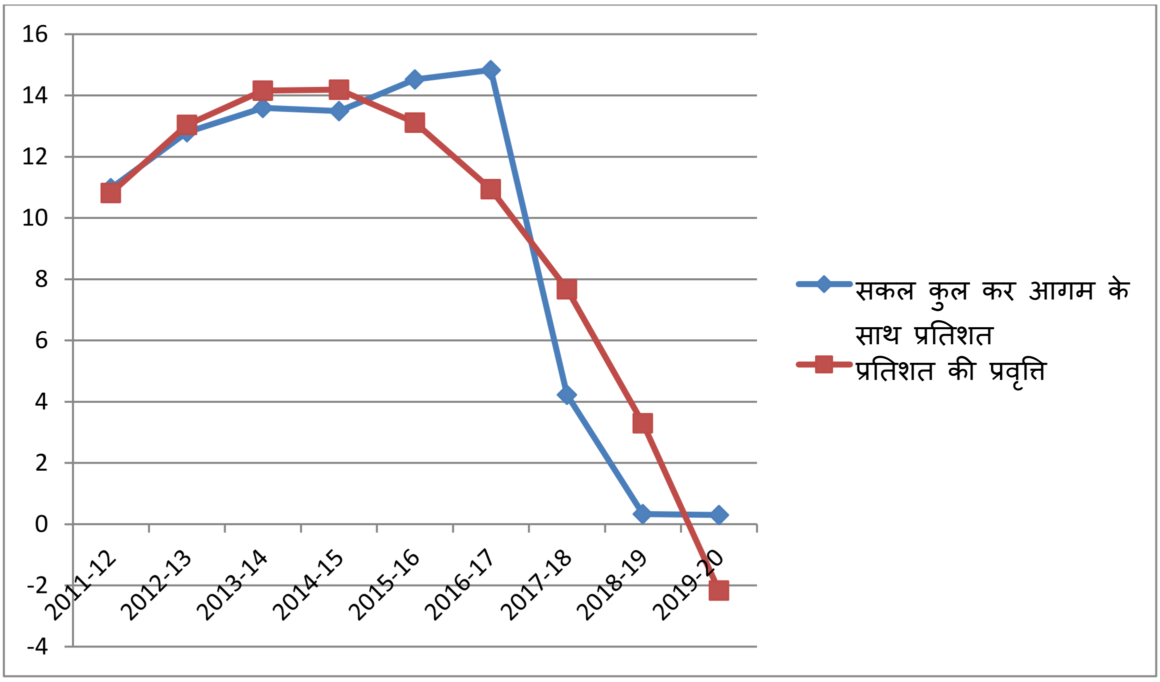

ग्राफ नम्बर 1I & 1J द्वारा स्पष्ट हो रहा है कि सेवा कर से प्राप्त कर आगम में 2011-12 से लेकर 2014-15 तक वृद्धि की प्रवृत्ति है और इसके पश्चात 2015-16 से लेकर 2019 तक कमी की प्रवृत्ति है। सकल कुल कर आगम के साथ प्रतिशत के प्रवृत्ति में भी 2011-12 से लेकर 2014-15 तक वृद्धि और इसके पश्चात गिरावट की प्रवृत्ति है।

XI. धनकर

धनकर से आशय ऐसे कर से हैं जो किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा रखे गए धन पर लगाया जाता है। यह एक प्रत्यक्ष कर है।

पिछले कुछ वर्षों में धनकर से प्राप्त कर आगम का व्यौरा तालिका नंबर 1 में प्रदर्शित किया गया है जिसके विश्लेषणात्मक अध्ययन के निष्कर्ष इस प्रकार हैं-

धनकर से प्राप्त कर आगम का माध्य 567.44 करोड रुपए हैं। वर्ष 2011-12 से लेकर 2015-16 तक धनकर से प्राप्त कर आगम माध्य से अधिक हैं जबकि 2016-17 से लेकर 2019 -20 तक धनकर से प्राप्त कर आगम माध्य से कम है।

धनकर से प्राप्त कर आगम और तालिका नंबर 1 में प्रस्तुत सकल कुल कर आगम के मध्य सह-सम्बन्ध -0.85 है जो कि उच्च स्तरीय ऋणात्मक सह-सम्बन्ध है। इस प्रकार स्पष्ट हो रहा है कि सकल कुल कर आगम में वृद्धि होने पर धनकर से प्राप्त कर आगम में पर्याप्त मात्रा में कमी हुई है।

धनकर से प्राप्त कर आगम के प्रवृत्ति का अध्ययन काल-श्रेणी के अरेखीय विधि से किया जा रहा है जो कि इस प्रकार है-

धनकर से प्राप्त कर आगम एवं प्रवृत्ति का ग्राफ द्वारा प्रस्तुतीकरण

ग्राफ नम्बर 1K

धनकर से प्राप्त कर आगम एवं प्रवृत्ति (करोड़ में)

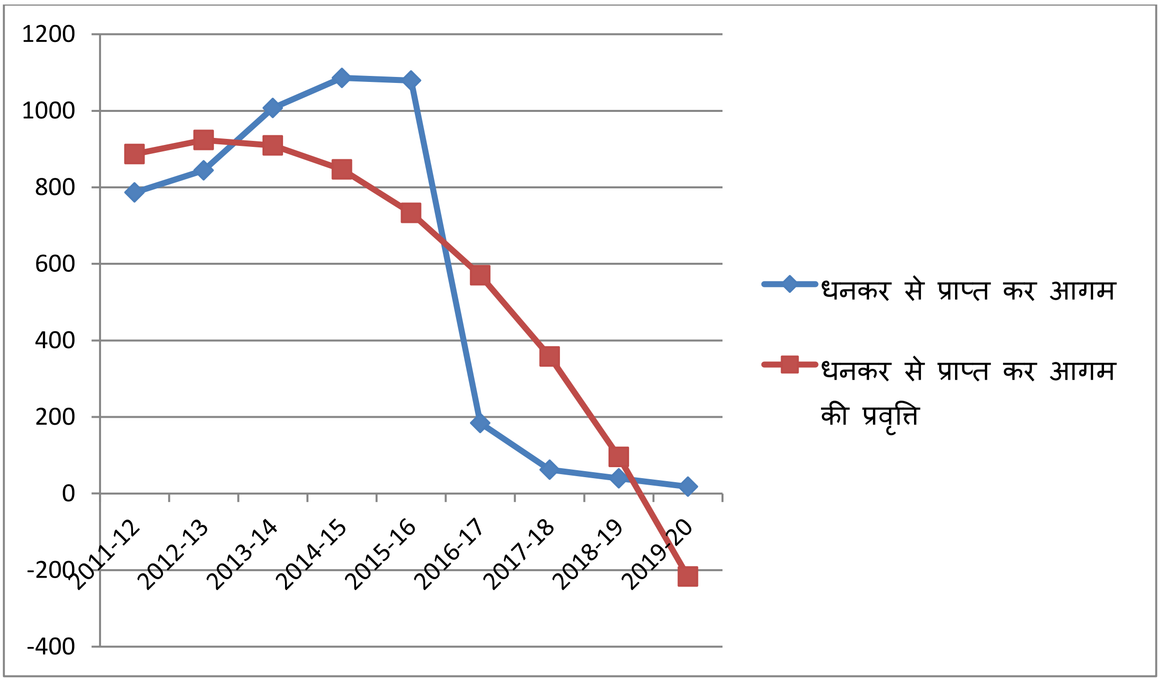

ग्राफ नम्बर 1K द्वारा स्पष्ट हो रहा है कि धनकर से प्राप्त कर आगम में 2011-12 से लेकर 2012-13 तक वृद्धि और 2013-14 से लेकर 2019 -२० तक लगातार कमी की प्रवृत्ति है।

XII. केंद्र शासित प्रदेशों के कर

इसके अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों के कर को सामूहिक रूप से दिखाया जाता है। केंद्र शासित राज्यो में दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार दीप समूह, चंडीगढ, दादरा और नगर हवेली और दमन- दीव, लक्षद्वीप पांडुचेरी शामिल है। केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त कर आगम का ब्यौरा तालिका नंबर 1 में प्रस्तुत किया गया है जिसके विश्लेषणात्मक अध्ययन के निष्कर्ष इस प्रकार हैं-

केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त कर आगम का माध्य ४०४२.78 करोड़ रुपए हैं। वर्ष 2011-12 से लेकर वर्ष 2016-17 तक प्राप्त कर आगम माध्य से कम है जबकि 2017-18 से लेकर 2019 -20 तक के प्राप्त कर आगम माध्य से अधिक हैं।

केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त कर आगम और तालिका नंबर 1 में प्रस्तुत सकल कुल कर आगम के मध्य सह-सम्बन्ध +0.96 है जो कि उच्चस्तरीय धनात्मक सह-सम्बन्ध है। इस प्रकार स्पष्ट हो रहा है कि सकल कुल कर आगम में वृद्धि होने के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त कर आगम में भी पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हुई है।

केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त कर आगम के प्रवृत्ति का अध्ययन काल-श्रेणी के अरेखीय विधि से किया जा रहा है जो कि इस प्रकार है-

केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त कर आगाम एवं प्रवृत्ति का ग्राफ द्वारा प्रस्तुतीकरण

ग्राफ नम्बर 1L

केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त कर आगाम एवं प्रवृत्ति (करोड़ में)

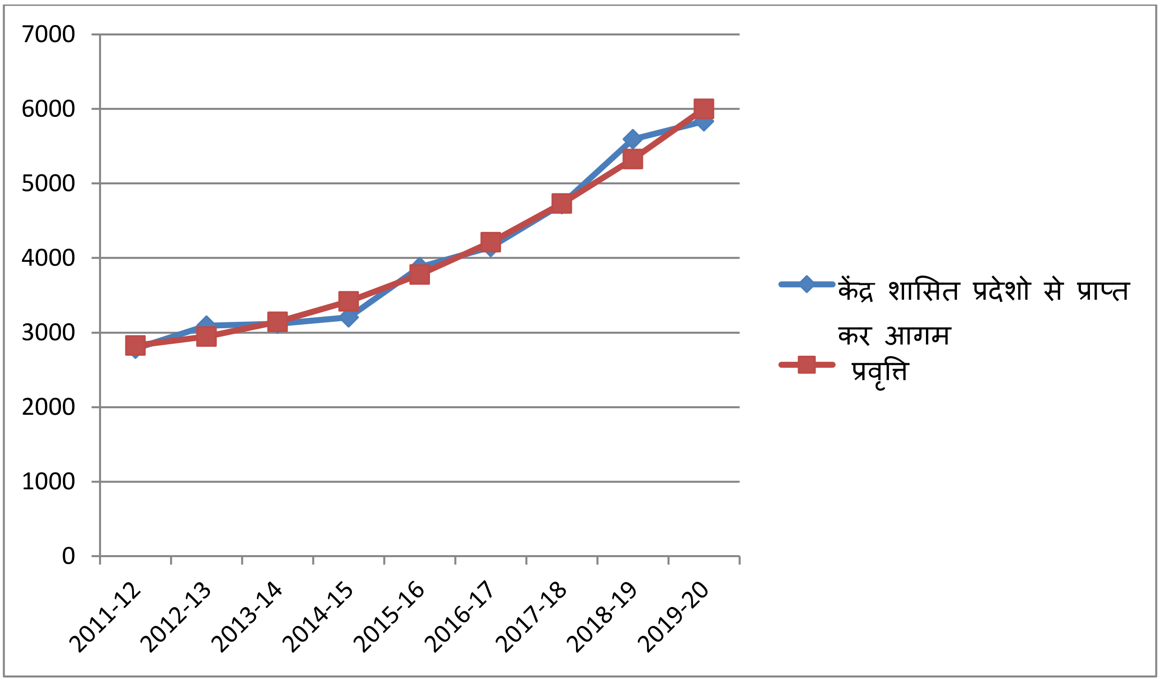

ग्राफ नम्बर 1L द्वारा स्पष्ट हो रहा है कि केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त कर आगम में 2011-12 से लेकर 2019 -20 तक लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति है।

अब हम भारत सरकार द्वारा प्राप्त सकल कुल कर आगम का विश्लेषणात्मक अध्ययन करेंगे जिसका ब्यावरा तालिका नंबर 1 में प्रदर्शित किया गया है-

सकल कुल कर आगम का माध्य 1498892.56 करोड रुपए हैं। वर्ष 2011-12 से लेकर 2015-16 तक प्राप्त सकल कुल कर आगम माध्य से कम है जबकि 2016-17 से लेकर 2019 -20 तक प्राप्त सकल कुल कर आगम माध्य से अधिक है।

तालिका नंबर -1 में प्रस्तुत सकल कुल कर आगम के प्रवृत्ति का अध्ययन काल-श्रेणी के अरेखीय विधि से किया जा रहा है जो कि इस प्रकार हैं-

सकल कुल कर आगाम एवं प्रवृत्ति का ग्राफ द्वारा प्रस्तुतीकरण

ग्राफ नम्बर 1M

सकल कुल कर आगाम एवं प्रवृत्ति (करोड़ में)

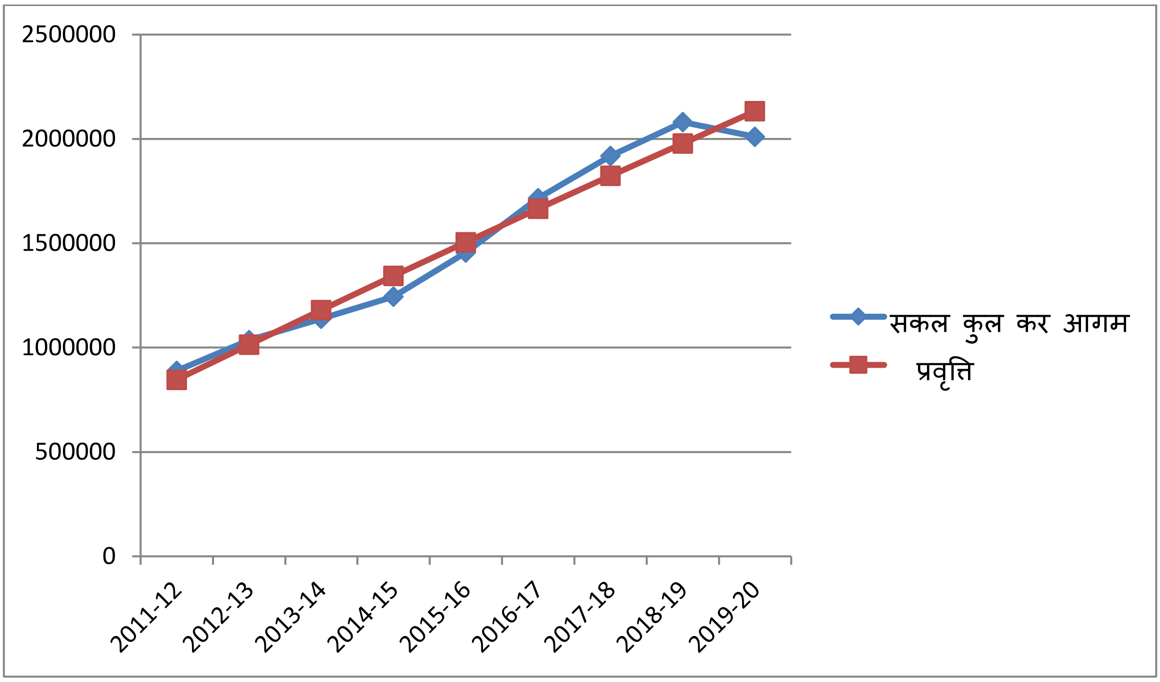

ग्राफ नम्बर 1M द्वारा स्पष्ट हो रहा है कि सकल कुल कर आगम में 2011-12 से लेकर 2012-13 तक लगातार वृद्धि की प्रवृत्ति है।

XIII. निष्कर्ष

कर आगम जिसका सकल कुल कर आगम के साथ सह-सम्बन्ध अवरोही क्रम में

तालिका नंबर 1 के आधार पर

क्रमांक नंबर	कर आगम	सकल कुल कर आगम के साथ सह-सम्बन्ध	प्रवृत्ति		माध्य
			रु करोड़ में	प्रतिशत में	
1	आय कर	+0.99	वृद्धि	वृद्धि	319962.22
2	निगम कर	+0.99	वृद्धि	गिरावट	470283.00
3	केंद्र शासित प्रदेशो के कर	+0.96	वृद्धि	- --	4042.78
4	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	+0.60	गिरावट	गिरावट	230832.11
5	सीमा शुल्क	-0.41	गिरावट	गिरावट	162956.44
6	सेवा कर	-0.43	गिरावट	गिरावट	123659.00
7	धनकर	-0.85	गिरावट	-----	567.44
8	सकल कुल कर आगम	--	वृद्धि	------	1498892.56

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1- Dalton : Principle of public finance

2- Findley shirras : the public finance

3- Mehta J.K.and Agrawal S.N. Public finance theory and practice

4- Jagdeesh Narayan Mishra : Indian economy

5- Indian Union Budget

6- Central statistics organization